



भारत निर्वाचन आयोग इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम

1 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2019 तक

I MAKE MY VOTER DETAILS

100% सही

VERIFY • CORRECT • AUTHENTICATE

कैसे
वेरिफाई
करें

- www.nvsp.in पर जाएं या वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करें
- अपने एपिक नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल के ज़रिए लॉग इन करें
- अपनी वोटर डिटेल्स जैसे नाम, लिंग, पता, फोटो आदि वेरिफाई करें
- यदि कोई जानकारी गलत हो तो, सही जानकारी उपलब्ध कराएं
- कोई एक पहचान पत्र अपलोड करें
- मतदाता सूची में परिवार के छूटे हुए योग्य सदस्यों का नाम जुड़ावें
- स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा मृत पारिवारिक सदस्यों का नाम हटवाएं
- 16 से 18 वर्ष की आयु के परिवार के सदस्यों का विवरण भरें
- पोलिंग स्टेशन में सुधार के लिए सुझाव दें

ऑफलाइन

Voter Facilitation
Centre / CSC या अपने
Voter Centre जाएं।
सूची के लिए
www.ceodelhi.gov.in
देखें

दिव्यांग
मतदाताओं के लिए

1950
पर कॉल
कर सहायता प्राप्त
करें

पहचान पत्र

वेरिफिकेशन के समय हर मतदाता इनमें से
कोई एक पहचान पत्र अपलोड करे

- भारतीय पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड • किसान पहचान पत्र
- आधार कार्ड • पासबुक • सरकारी पहचान पत्र
- पैन कार्ड • आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पानी/बिजली/एलपीजी नवीनतम बिल



To Connect
Now, Scan
QR Code



रिखभ पंत
क्रिकेटर
भारतीय क्रिकेट टीम

कोई मतदाता ना छूटे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

www.ceodelhi.gov.in